यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक एक/निग./विदिशा/भू.रा./2018/.1633

हिम्मत सिंह बघेल पुत्र दौलतसिंह(मृत वारिसान)

1– रघुवीर सिंह पुत्र स्वं. हिम्मतसिंह बघेल

2– ठाकुरसिंह पुत्र स्वं हिम्मतसिंह बघेल

3– वीरेन्द्रसिंह पुत्र स्वं हिम्मतसिंह बघेल

4– बादामसिंह पुत्र स्वं हिम्मतसिंह बघेल

5– राजेन्द्रसिंह पुत्र स्वं हिम्मतसिंह बघेल

6– कमलेशसिंह पुत्र स्वं हिम्मतसिंह बघेल
निवासीगण– ग्राम बेरखेडी बुजुर्ग, तहसील व जिला विदिशा म.प्र. .... आवेदकगण

बनाम

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला विदिशा मध्यप्रदेश ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल के प्रकरण क्रमांक 223/अपील/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 06.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत ।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य –

1. यहकि, आवेदकगण के पिता स्वं श्री हिम्मतसिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय, विदिशा के समक्ष एक आवेदन पत्र अर्तगत धारा 57 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर उसका नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। अनुविभागीय अधिकारी महोदय विदिशा द्वारा उक्त आवेदन पत्र प्रकरण कमांक 19/अ–1/97–98 पर दर्ज किया गया, आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1633

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/09/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किए जाने का अनुरोध किया गया। विचारोपरांत आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण उन्हें सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस किया जाए। **प्रशासकीय सदस्य**	